


06.12.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे आवश्यक कार्यवाही नहीं कि जा रही है। प्रार्थी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे। उपस्थित नहीं आए। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थन पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
इनुमानगढ़

